न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 607/2017 प्रार्थना पत्र

1. रामचन्द्र पिता हेमा जी जाति कुमावत आयु 61 वर्ष निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द।
2. किशनलाल पिता हेमा जी जाति कुमावत आयु 51 वर्ष निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द।
3. कैलाश पिता गणेशलाल जी जाति कुमावत आयु 45 वर्ष निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द।
4. सुन्दरलाल पिता गणेशलाल जी जाति कुमावत आयु 40 वर्ष निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री किशनलाल उर्फ कन्हैयालाल पिता चम्पालाल जी जाति कुमावत आयु 45 वर्ष निवासी कुम्हारिया खेडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. मांगीलाल पिता चम्पालाल जी जाति कुमावत आयु 42 वर्ष निवासी कुम्हारिया खेडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. कैलाश पिता चम्पालाल जी जाति कुमावत आयु 40 वर्ष निवासी कुम्हारिया खेडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 128, आरएलआर एक्ट बाबत् पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपस्थित : 1. श्री मदनलाल जी टांक, अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता विपक्षीगण

: : आदेश : :

दिनांक :–02.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के खातेदारी एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम नैनपुरिया, तहसील नाथद्वारा की आराजी सं. 140 रकबा 5–15 बीघा स्थित है। एवं आराजी सं. 144 रकबा 5–17 बीघा कृषि भूमि मे प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थीगण के कलम सं. 1 मे वर्णित आराजी के पश्चिम दिशा मे विपक्षीगण की आराजी सं. 141, 142 एवं 143 स्थित है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य बाउण्ड्री निशान नष्ट कर विपक्षीगण ने जबरन थोहर की बाड प्रार्थीगण की भूमि मे कर दी है। जिससे प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य बाउंड्री विवाद है। प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी सं. 144 की उत्तर दिशा की ओर आराजी सं. 143 स्थित है जिनके मध्य मे पुराने बाउण्ड्री सीमा चिन्ह नष्ट कर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

विपक्षीगण ने जबरन थोहर की बाड प्रार्थीगण की भूमि मे कर दी है जिससे प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य बाउण्ड्री विवाद है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य प्रार्थीगण की उक्त पश्चिमी सीमा को लेकर आये दिन विपक्षीगण विवाद करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू है। प्रार्थीगण ने अपने भूमि की सीमा जानकारी करवाई पटवारी हल्का द्वारा कराई गई सीमा जानकारी से इन्कार करते हुए विवाद करते है। इस कारण पत्थरगढी कराना जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण दिनांक 22.11.2017 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण को सीमाओ को नष्ट करने से मना किया तो लडाई झगडा करने पर आमदा हुए।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 1 मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी करायी जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षीगण की ओर से जवाब निम्नानुसार है प्रार्थना पत्र की कलम सं. 1 एवं 2 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी सं. 144 बताई गई है जिसमे कौन–कौन खातेदार है पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थना पत्र की कलम सं. 3 अस्वीकार है विपक्षीगण की आराजी सं. 141, 142 एवं 143 होना स्वीकार है परन्तु प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य बाउण्डरी निशान नष्ट कर विपक्षीगण ने जबरन थोर की बाड लगाना अस्वीकार है जबकि उक्त कृषि भूमि के चारो ओर थोर की बाड एवं कच्चे पत्थरो का कोट बना हुआ है जो करीबन 25–30 वर्ष से अधिक समय से बनी हुई है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र की आड मे विपक्षी की जमीन मे कब्जा करना चाहता है। प्रार्थना पत्र की कलम सं. 4 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अंकित किया कि पुराने बाउण्डरी सीमा नष्ट कर विपक्षीगण ने जबरन थोर की बाड कर दी हो जबकि उक्त कृषि भूमि को चारो ओर 25–30 वर्षो से अधिक समय से थोर की बाड बनी हुई है एवं कच्चे पत्थरो की कोट बनी हुई है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा चिन्ह को लेकर विवाद है इसलिये कब्जे का विवाद का पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र मे कोई निर्णय नही होता है। प्रार्थना पत्र की कलम सं. 5 अस्वीकार है। प्रार्थीगण विपक्षीगण के मध्य कभी भी सीमा विवाद नही रहा तथा पुराने सीमा चिन्ह आज भी मौके पर मौजूद है प्रार्थीगण अब पत्थरगढी के माध्यम से कब्जा लेना चाहते है। प्रार्थना पत्र की कलम सं. 6 अस्वीकार है प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की सीमा जानकारी पटवारी हल्का द्वारा कब कराई गई विपक्षीगण को इसकी कोई जानकारी नही है तथा नही प्रार्थीगण द्वारा सीमा जानकारी के संबंध मे कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये है। दिनांक 22.11.2017 को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई कारण उत्पन्न नही हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम नैनपुरिया, तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2072–75 की आराजी सं. 140 रकबा 5–15 बीघा एवं आराजी सं. 144 रकबा 5–17 बीघा कृषि भूमि मे प्रार्थीगण का 1/3 मे खातेदार दर्ज होना प्रकट होता है।

प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजी के मध्य सीमा को लेकर विवाद होना प्रकट होता है। प्रार्थी अपने खातेदारी की आराजी सं. 140 एवं 144 के पत्थरगढी कराने का अधिकारी साबित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः आदेश सुनाया जाता है :–

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी राजस्व ग्राम नैनपुरिया, तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2072–75 की आराजी सं. 140 रकबा 5–15 बीघा एवं आराजी सं. 144 रकबा 5–17 बीघा कृषि भुमियो की पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार नाथद्वारा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना नियमानुसार पत्थरगढी करावें। यदि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद हो तो पत्थरगढी नहीं करा पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमिश्नर फीस प्रार्थी से नियमानुसार प्राप्त करें। तहसीलदार नाथद्वारा को तहरीर जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द